कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/849-2001 बी-I (4) दिनांक चण्डीगढ़ 17-1-2002

नियमानुसार जाच उपरान्त नवोदय विद्या निकेतन वरि० माध्यमिक विद्यालय इन्दिरा कालोनी फरीदाबाद को केवल शैक्षिक सत्र 2001–2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्टस, कार्मस तथा विज्ञान सकाय प्रारम्भ करने की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक दस जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार /विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नही करेगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं की वान्छित सभी आवश्यक साधन/सुविधाए अपने खर्चे पर उपलब्ध करायेगे ।

2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्ही को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होने एम0ए0/ एस0 एस0 सी0/एम0 काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तो की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तिया भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तो के अर्न्तगत की जायेगी।

3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए ।

4 जमा एक तथा दो कक्षाओ के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेगें इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नही की जायेगी।

5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तो का पालन करना होगा।

6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जायेगें जिनकी टीचिग/लर्निग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाये विद्यालय मे उपलब्ध हो तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो ।

7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों / निदेर्शो का पालन किया जाएगा ।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पदलन किया जाएगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों ।

11. स्टाफ का वेतन बैंक चैक द्वारा ही दिया जाएगा ।

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाएं ।

13. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बकाया 12314/- रु. राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक महीने में बैंक में प्लैज करवाई जाए ।

14. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।

15. भविष्य में छात्र/छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।

16. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेगे वह मान्य होगे ।

सुरीना राजन
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पृ0क0 सम दिनांक, चण्डीगढ़ 25-1-2002

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1. प्रबन्धक नवोदय शिक्षा निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इन्दिरा कालोनी फरीदाबाद ।

2 सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके क्रमांक जी-I/2001/367 दिनांक 27-2-2001 के संदर्भ में

(हस्ताक्षर) 25/1
अधीक्षक विद्यालय-1
कृतः निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।